सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2025 / 164 दर्ज तिथिः—05.05.2025

1. धर्मेन्द्रकिशोर पुत्र चुतराराम
   जाति मेघवाल निवासी झरड़ासर तहसील नोखड़ा जिला बाडमेर

.....वादीगण

बनाम

1. भूमिधारक जरिये राज्य सरकार तहसीलदार नोखड़ा

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री चिमनसिंह चौधरी
प्रतिवादीः—एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—29.09.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा—88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी ने निवेदन किया गयाः—
   - कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड आराजी हाल खसरा संख्या 1110 / 427 / 0.2428 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता मौजा झरड़ासर तहसील नोखड़ा में अवस्थित है। उक्त आराजी मूल खसरा संख्या 427 का भाग है। उक्त आराजी पर वादी का निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है।
   - कि वादी के मूल खसरा संख्या 427 रकबा 6.8362 है0 किस्म बा0सो0 के दक्षिणी दिशा के सेढे से एक डामर सड़क गुजरती है। उक्त डामर सड़क मूल खसरा संख्या 427 में से समर्पणसुदा खसरा संख्या 1125 / 1112 रकबा 0.1133 है0 है। जिस पर वर्तमान में सड़क चालू है। उक्त चालू सड़क को वाद के संलग्न परिशिष्ट—अ में बिन्दु संख्या सी से बी एवं डी से प्रदर्शित किया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 20:43:25 IST
Reason: SelfAttested

- कि वादी के इसी खसरा संख्या 427 में से खसरा संख्या 1110 / 427 / 0.2428 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता मौजा झरड़ासर का मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड आया हुआ है। जिसको संलग्न परिशिष्ट—अ में बिन्दु संख्या ए से बी प्रदर्शित किया गया है। परंतु उक्त रास्ता मौके पर चलायमान नहीं होकर वादी के कब्जे काश्त की आराजी है। जिस पर वादी द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है।
- कि वादी के खसरा संख्या 427 से संलग्न परिशिष्ट—अ के अनुसार समर्पणसुदा खसरा संख्या 1125 / 1112 रकबा 0.1133 है0 संलग्न परिशिष्ट—अ में बिन्दु संख्या सी से बी एवं डी एवं खसरा संख्या 1110 / 427 / 0.2428 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता मौजा झरड़ासर परिशिष्ट—अ में बिन्दु संख्या ए से बी रास्ते होने से वादी को दोहरा नुकसान हो रहा है। जबकि खसरा संख्या 1110 / 427 / 0.2428 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता मौजा झरड़ासर परिशिष्ट—अ में बिन्दु संख्या ए से बी पर वर्तमान में कोई रास्ता चालू नहीं होकर उक्त आराजी वादी के कब्जा काश्त की होकर कृषि भूमि के रूप में काम में आ रही है।
- अतः खसरा संख्या 1110 / 427 / 0.2428 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता मौजा झरड़ासर परिशिष्ट—अ में बिन्दु संख्या ए से बी की भूमि को वादी की खातेदारी में घोषित करते हुए वादी के मूल खसरा संख्या 427 में जोड़ी जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात् पत्रावली वादी साक्ष्य में नियत की गई।

3. पत्रावली पर विचारण आरंभ किया गया। पत्रावली वादीगण साक्ष्य में रखी गई। प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए—

दस्तावेज	संवत / विवरण	प्रदर्श
जमाबंदी	खाता संख्या 01 संवत 2072—75 मौजा झरड़ासर	प्रदर्श—01
नक्शा	खसरा संख्या 1110 / 427 मौजा झरड़ासर	प्रदर्श—02
जमाबंदी	खाता संख्या 12 सम्वंत 2072—2075 मौजा झरड़ासर	प्रदर्श—03
नक्शा	खसरा संख्या 1126 / 1112 मौजा झरड़ासर	प्रदर्श—04
नक्शा	खसरा संख्या 1127 / 1112 मौजा झरड़ासर	प्रदर्श—05
नक्शा	खसरा संख्या 427 मौजा झरड़ासर	प्रदर्श—06
समर्पण आदेश	आदेशांक / राजस्व / 201 / 779—81 दिनांक 06.08.2014	प्रदर्श—07 ए

4. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 20:43:25 IST
Reason: SelfAttested

नाम	जाति	निवासी
धर्मेन्द्रकिशोर पुत्र चुतराराम	मेघवाल	झरड़ासर तहसील नोखड़ा

5. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए खसरा संख्या 1110 / 427 / 0.2428 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता मौजा झरड़ासर परिशिष्ट—अ में बिन्दु संख्या ए से बी की भूमि को वादी की खातेदारी में घोषित करते हुए वादी के मूल खसरा संख्या 427 में जोड़ी जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया।

6. मैनें विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में अनुतोषवार विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इस कारण प्रकरण में प्रथम अनुतोष का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में प्रथम अनुतोष निम्न प्रकार हैंः—

    1. खसरा संख्या 1110 / 427 / 0.2428 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता मौजा झरड़ासर परिशिष्ट—अ में बिन्दु संख्या ए से बी की भूमि को वादी की खातेदारी में घोषित करते हुए वादी के मूल खसरा संख्या 427 में जोड़ी जावे।

7. प्रकरण में प्रथम अनुतोष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—15 से संबंधित है। इस कारण प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—15 का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। अतः सर्वप्रथम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—15 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

    ***15. Khatedar tenants**— (1) Subject to the provisions of section 16 and clause (d) of Sub-section (1) of section 180 every person who, at the commencement of this Act, is a tenant of land otherwise than as a sub-tenant or a tenant of Khudkasht or who is, after the commencement of this Act, admitted as a tenant otherwise than a sub-tenant or tenant of Khudkasht or an allottee of land under, and in accordance with, rules made under section 101 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956) or who acquires Khatedari rights in accordance with provisions of this Act or of the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagir Act, 1952 (Rajasthan Act VI of 1952) or of any other law for the time being in force shall be a Khatedar tenant and shall, subject to the provision of this Act be entitled to all the rights conferred; and be subject to all the liabilities imposed on Khatedar tenants by this Act:*

    Provided that no Khatedari rights shall accrue under this section to any tenant, to whom land is or has been let out temporarily in Gang Canal, Bhakra, Chambal or Jawai project area or any other area notified in this behalf by the State Government.

    (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) Khatedari rights shall not accrue there under to any person to

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 20:43:25 IST
Reason: SelfAttested

whom land had been let out before the commencement of this Act by the State Government in furtherance of the Grow More Food Campaign or under some special order subject to some specified conditions or in pursuance of some statutory or non-statutory rules and who shall have, before such commencement, made a default in securing the objective of such campaign or a breach of any such order, condition or rule.

(3) Any person referred to in sub-section (2) may, within three years from the date of commencement of this Act and on payment of a court-fee of twenty five naye paise apply to the Assistant Collector having jurisdiction praying for a declaration that acquired Khatedari right under sub-section (1) in the land held by him.

(4) Such application may be made on any of the following grounds, namely:
(a) that the land held by him was let out to him after the" commencement of this Act.
(b) that it was not let out to him in any of the circumstances specified in sub-section (2).
(c) that when the- land was so let out to him he was not apprised of such circumstances.
(d) that he had, before such commencement made no default or breach of the nature specified in sub-section (2).

(5) The Assistant Collector shall, upon the presentation of an application under sub-section (3), make inquiry in the prescribed manner and afford reasonable opportunity to the applicant of being heard and shall, if he does not reject the application , declare the applicant to have become Khatedar tenant of his holding in accordance with and subject to the provisions of the subsection (I).

8. प्रकरण में वादी की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 427 मौजा झरड़ासर की दक्षिणी दिशा में होकर सड़क चलायमान है। असल में खसरा संख्या 427 में से उक्त सड़क हेतु खसरा संख्या 1110 / 427 तथा 1113 / 427 दो समर्पण सहवन से वादी द्वारा किये गये। जबकि खसरा संख्या 1110 / 427 से मौके पर होकर सड़क चलायमान नहीं होकर खसरा संख्या 1113 / 427 में से होकर सड़क चलायमान है। इस प्रकार वादी की खातेदारी आराजी में से सड़क हेतु खसरा संख्या 1110 / 427 तथा 1113 / 427 दो समर्पण सहवन हो गये। जबकि मौके पर केवल एक ही मार्ग पर सड़क चलायमान है।

9. इसी प्रकार वादी की खातेदारी आराजी में से होकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—251 ए के तहत एक प्रार्थना—पत्र संख्या 2025 / 181 मूलाराम बनाम धर्मेन्द्र किशोर में प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य राजीनामा हुआ कि आराजी खसरा संख्या 1110 / 427 की समर्पित भूमि की तरमीम को निरस्त करते हुए आराजी खसरा संख्या 1113 / 427 से होकर खसरा संख्या 427 / 4 तक रास्ता हेतु सहमति प्रदान की गई। इस सहमति के आधार पर वादी की खातेदारी आराजी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 20:43:25 IST
Reason: SelfAttested

427 से होकर खसरा संख्या 427/4 तक रिकॉर्डेड रास्ते की पहुंच हेतु उक्त 251—ए के प्रार्थना पत्र का निर्णय 28.07.2025 को किया गया। प्रकरण में असल में खसरा संख्या 427/4 के खातेदार व वादी पूर्व में खसरा संख्या 427 के विभाजन से पूर्व सहखातेदार रहे हैं। इस प्रकार उक्त प्रकरण सहखातेदारों के मध्य खाता विभाजन के पश्चात् अपने—अपने खेत खसरा तक पहुंच हेतु रास्तों से संबंधित है। यह तथ्य उक्त 251—ए के मामले में उभयपक्षकारान के मध्य सहमति से ही स्पष्ट होता है।

10. इस प्रकार प्रकरण में वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 427 से होकर दो रास्ते रिकॉर्ड में सहवन से दर्ज हो गये हैं। जबकि मौके पर केवल खसरा संख्या 1113/427 ही सड़क के रूप में चलायमान है। प्रकरण में खसरा संख्या 1110/427 पूर्व में वादी की खातेदारी में ही दर्ज रहा है। वर्तमान में खसरा संख्या 1110/427 केवल रिकॉर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज है। जबकि मौके पर कोई उपयोग नहीं हो रहा है और भविष्य में भी इसके विकल्प के रूप में खसरा संख्या 1113/427 मौके पर चलायमान सड़क के कारण व्यावहारिक व प्रासांगिक प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण में वादी की खातेदारी में से होकर अप्रासांगिक रूप से खसरा संख्या 1110/427 रिकॉर्ड में दर्ज होने से वादी को दोहरी क्षति होना स्पष्ट है। इस प्रकार वादी की खातेदारी आराजी में से ही समर्पित एवं वास्तविक रूप से मौके पर खसरा संख्या 1113/427 में से होकर सड़क चलायमान होने से वादी की खातेदारी में से सहवन से समर्पित आराजी खसरा संख्या 1110/427 पर वादी को दोहरी क्षति से बचाने हेतु खसरा संख्या 1110/427 पर पुनः खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना उचित व न्यायसंगत प्रतीत होता है। इस प्रकार पर वादी अपनी खातेदारी में से सहवन से दोहरे रूप में समर्पित आराजी खसरा संख्या 1110/427 पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का प्रकरण साबित करने में भी वादीगण सफल रहे है। अतः

आदेश है कि

वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा संख्या 1110/427 मौजा झरड़ासर की वर्तमान राजस्व इन्द्राज व तरमीम निरस्त करते हुए वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 427 में समाहित करते हुए खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते हैं।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।
आज 29.09.2025 यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 20:43:25 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2025 / 164 दर्ज तिथिः—05.05.2025

1. धर्मेन्द्रकिशोर पुत्र चुतराराम
   जाति मेघवाल निवासी झरड़ासर तहसील नोखड़ा जिला बाडमेर

.....वादीगण

बनाम

1. भूमिधारक जरिये राज्य सरकार तहसीलदार नोखड़ा

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री चिमनसिंह चौधरी
प्रतिवादीः—एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा संख्या 1110/427 मौजा झरड़ासर की वर्तमान राजस्व इन्द्राज व तरमीम निरस्त करते हुए वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 427 में समाहित करते हुए खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते हैं।

यह पर्चा—डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवाई जावें। आदेश जारी हो। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा—डिक्री आज दिनांक 29.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 20:43:25 IST
Reason: SelfAttested